



केशवेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०
अपर कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्या: SHSB/GA/HR/7082/2021/2915

पटना, दिनांक: 08/08/2022

-: आदेश :-

विज्ञापन संख्या-11/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत NPCDCS कार्यक्रम के तहत NCD Clinic में रिक्त STAFF NURSE के संविदागत पदों पर राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश संख्या-3226 दिनांक 28.08.2021 के आलोक में उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय ₹20,000/- (बीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजन हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन पदस्थापन किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। जिनके पास वैध BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र नहीं है, उनका चयन एवं पदस्थापन पूर्णतः औपबंधिक है।

क्र.सं.	रौल नं०	Staff Nurse (NPCDCS-NCD Clinic)	जन्मतिथि	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	31016256	Brijesh Kumar	15-Jul-1997	UR	East Champaran
2.	12904556	Kapil Saini	15-Feb-1997	UR	Araria
3.	12203295	Ghanshyam Jatav	1-May-1997	UR	Banka
4.	13805889	Lakhat Jogi	10-May-1997	UR	Bhagalpur
5.	10801109	Narendra Kumar Gurjar	10-Jul-1997	UR	Bhojpur
6.	12904513	Vimal Kumar Saini	8-Sep-1997	UR	Madhepura
7.	12203291	Amit Kumar Saran	10-Sep-1997	UR	Munger
8.	13204884	Pankaj Jangir	19-Jan-1998	UR	Nalanda
9.	12804383	Rahul Kumar	9-Aug-1998	UR	Nawada
10.	13405305	Vipul	15-Aug-1998	UR	Saharsa
11.	10600835	Rishabh Jain	22-Jun-1999	UR	Sheohar
12.	33319919	Ghanshyam Karwa	24-Sep-1986	UR	Sitamarhi
13.	31316681	Rajendra Chaudhary	10-Jun-1989	UR	Vaishali

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे:-

- दिनांक 31 अगस्त, 2022 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में आवंटित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपना BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए योगदान देना सुनिश्चित करें।
- बिना BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र के अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

ज्ञापक: SHSB/GA/HR/7082/2021/2915 पटना, दिनांक 08/08/2022

Page 1 of 3





- iii) योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
 - iv) यदि सरकारी सेवा या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
 - v) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Record of Proceeding (RoP) में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक, जो भी पहले हो, के आलोक में सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
 - vi) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
 - vii) आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - viii) उक्त अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही भी की जाएगी।
3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, चयनित STAFF NURSE के योगदान के तुरंत बाद उन्हें संबंधित NCD Clinic (NPCDCS) में पदस्थापित करेंगे। मानदेय/प्रतिमाह FMR code-8.1.1.2 के तहत विकलनीय होगा।
4. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को निदेश दिया जाता है कि वे अभ्यर्थियों का BNRC, पटना से BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त ही उनका योगदान स्वीकृत करेंगे तथा तदनुसार एकरारनामा सम्पन्न कर यथाशीघ्र NCD Clinic (NPCDCS) में पदस्थापित करते हुए इसकी सूचना निश्चित रूप से इस कार्यालय के E-Mail ID: shsbhrcell@yahoo.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 03 पृष्ठ हैं एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित हैं।

(केशवेन्द्र कुमार)

ज्ञापक : SHSB/GA/HR/7082/2021/2915 पटना, दिनांक: 08/08/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।






राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- प्रतिलिपि:** संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-NPCDCS (NCD Clinic), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी नवनियोजित STAFF NURSE को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि वे संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष BNRC, पटना से निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए ससमय अपना योगदान को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कार्यपालक निदेशक

